JPD-6/105

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

क्रमाक : जेपीडी/मुले./राजस्व /फा 15/प्रे 5740 दिंनाक 10.7.2003

—: आदेश :—

पंचायती राज विभाग के आदेश एफ 4 (68) पंसज/पीसी/2002 /565 दिंनाक 19.06.03 के क्रम में, ऊर्जा विभाग राज.सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्र प. 20(20) ऊर्जा / 2001 दिंनाक 26.06.03 के अन्तर्गत यह आदेश प्रदान किए जाते है कि जहॉ कहीं पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिलों का वितरण, राशि संग्रहण तथा विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नोटिस के वितरण का कार्य, निजी व्यक्तियों द्वारा करवाया जा रहा है, वहॉ पर यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में उपरोक्त कार्य स्वयं करवाना चाहती हों तो निजी व्यक्तियों को दी गयी शर्तो तथा दरों पर तुरन्त प्रभाव से ग्राम पंचायतों को यह कार्य हस्तांतरित कर दिये जावें।

इसके लिए अधीक्षण अभियन्ता, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर ऐसे ग्रामों के चयन कार्य में सूचनाऐं प्रदान करेगें तथा चयन कार्य में पूर्ण सहयोग देगें।

(बी. एन. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है :—

1. सचिव, पंचायती राज विभाग राज. सरकार, जयपुर ।
2. सचिव, ऊर्जा विभाग, राज. सरकार, जयपुर
3. जिला कलेक्टर, ——————
4. पूर्णकालिक निदेशक, जयपुर डिस्काम, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता (प.व.स.) जयपुर डिस्काम, जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.)जयपुर डिस्काम —————— ।
8. अधिशाषी अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्काम ——————को आदेश की अतिरिक्त 4 प्रति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को भिजवाने हेतु संलग्न है ।
9. वरिष्ट लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (प.व स.) जयपुर डिस्कॉम ———— ।

(ए.के.जैन)
मुख्य लेखाधिकारी

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302 005 फोन : 0141-740148, फैक्स : 0141-740831